रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28112022-240616 CG-DL-E-28112022-240616

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 761] No. 761] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 28, 2022/अग्रहायण 7, 1944 NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 28, 2022/AGRAHAYANA 7, 1944

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2022

सा.का.िन. 852(अ).—केंद्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 36) की धारा 176 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत वितरण की अनुज्ञप्ति (पूंजी पर्याप्तता, उधार पात्रता की अतिरिक्त अपेक्षाएं और आचार संहिता) नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत वितरण की अनुज्ञप्ति (पूंजी पर्याप्तता, उधार पात्रता की अतिरिक्त अपेक्षाएं और आचार संहिता) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2022 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. विद्युत वितरण की अनुज्ञप्ति (पूंजी पर्याप्तता, उधार पात्रता की अतिरिक्त अपेक्षाएं और आचार संहिता) नियम, 2005 के, नियम 3 के, उप-नियम (2) के 'स्पष्टीकरण' के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात:

"स्पष्टीकरण - इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिनियम की धारा 14 के छठे परंतुक के संदर्भ में एक ही क्षेत्र के भीतर विद्युत के वितरण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु, संविधान के अनुच्छेद 243थ में यथा-परिभाषित या तो किसी नगर निगम में आने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र या तीन निकटवर्ती राजस्व जिले, या कोई छोटा क्षेत्र, जिसे समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, आपूर्ति का न्यूनतम क्षेत्र होगा।"

[फा.सं. 23/08/2022-आरएंडआर]

पीयूष सिंह, संयुक्त सचिव

7894 GI/2022 (1)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक सा.का.िन. 188(अ), तारीख 23 जून, 2005 में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.िन. 690(अ), तारीख 8 सितंबर, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF POWER NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2022

- **G.S.R. 852(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (b) of sub-section (2) of section 176 of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Distribution of Electricity Licence (Additional Requirements of Capital Adequacy, Creditworthiness and Code of Conduct) Rules, 2005, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Distribution of Electricity Licence (Additional Requirements of Capital Adequacy, Creditworthiness and Code of Conduct) (Second Amendment) Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Distribution of Electricity Licence (Additional Requirements of Capital Adequacy, Creditworthiness and Code of Conduct) Rules, 2005, in rule 3, for Explanation to sub-rule (2), the following Explanation shall be substituted, namely:-
 - "Explanation. For the purposes of this sub-rule, it is hereby clarified that for grant of a license for distribution of electricity within the same area in terms of sixth proviso to section 14 of the Act, the entire area covering either a Municipal Corporation as defined in article 243Q of the Constitution or three adjoining revenue districts, or a smaller area as may be notified by the Appropriate Government shall be the minimum area of supply."

[F. No. 23/08/2022-R&R] PIYUSH SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number G.S.R. 188 (E), dated the 23rd June, 2005 and amended *vide* notification number G.S.R. 690(E), dated the 8th September, 2022.